

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज जयपुर
क्रमांक-प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/19/3865-3881

दिनांक: 12/06/2019

-आदेश:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का निम्नानुसार किया जाता है—

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री राहुल गोवल	सफाई कर्मचारी	फलौदी	जोधपुर
2.	श्री दिनेश सांगेला	सफाई कर्मचारी	फलौदी	जोधपुर
3.	श्री रवि खराडिया	सफाई कर्मचारी	महवा (स्थानान्तरणाधीन)	केशोरायपाटन
4.	श्री बाबूलाल कुमावत	फायरमैन	लोसल	एपीओ निदेशालय

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करायें।

नोट:-

- स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करायें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
- यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/सविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करायें।
- यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जायें।
- वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जायें।


(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 12/06/2019

क्रमांक : प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/19/3865-3881

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज जयपुर।
- महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका
- उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग
- संबंधित कर्मचारी
- सुरक्षित पत्रावली।


(अलका मेहता)

उप निदेशक (प्रशासन)